



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2026/D-166

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 287394 दिनांक 13/03/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Yatindra Singh S/o Padam Singh एवं Chakravarti Singh Padam Singh एवं Yudhister Singh Padam Singh	श्रीमती मरूधर कंवर पत्नी श्री पदम सिंह	27	138.88 SQ. YARD	Private	CASA-9	Name Transfer	आवेदक श्री यतिन्द्र सिंह, चक्रवर्ती सिंह, युधिष्ठिर सिंह पुत्रान् स्व0 पदम सिंह द्वारा निजी खातेदारी की योजना कासा-9 के आवासीय भूखण्ड संख्या 27 क्षेत्रफल 138.88 व0ग0 का नाम हस्तान्तरण हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। आवेदित भूखण्ड का लीजहोल्ड पट्टा क्रमांक 70 दिनांक 11.04.2018 को श्रीमती मरूधर कंवर पत्नी श्री पदम सिंह के नाम जारी किया गया था। लीजधारक श्रीमती मरूधर कंवर की मृत्यु दिनांक 29.12.2021 एवं श्री पदम सिंह की मृत्यु दिनांक



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

22.01.2024 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु के पश्चात इनके विधिक वारिस श्री यतिन्द्र सिंह, श्री चक्रवर्ती सिंह, युधिष्ठिर सिंह पुत्रान् स्व0 पदम सिंह द्वारा नाम हस्तान्तरण हेतु सजरा प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र के आधार पर आवेदन किया गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Yatindra Singh S/o Padam Singh एवं Chakravarti Singh Padam Singh एवं Yudhister Singh Padam Singh को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।

2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पश्चात समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |